

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 18 / 2019 प्रार्थना पत्र

प्राधिकृत अधिकारी, एयू स्माल फाईनेन्स
बैंक लिमिटेड भीलवाड़ा

उनवान
बनाम

1. श्री बद्रीलाल पुत्र मोहन लाल तेली
निवासी प्लॉट नं. 926-1, तेलीयों का
मोहल्ला, आसीन्द
2. श्री दिनेश साहु पुत्र बद्रीलाल तेली
निवासी प्लॉट नं. 1077 वार्ड नं. 10,
आसीन्द
3. श्रीमती मोवनी साहु पत्नी बद्रीलाल
तेली, निवासी साहु मोहल्ला, वार्ड नं.
10, आसीन्द भीलवाड़ा

— प्रार्थी

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और
पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी - श्री राकेश जैन

निर्णय

दिनांक : 30-5-2019

प्राधिकृत अधिकारी, एयू स्माल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड भीलवाड़ा की ओर से प्राधिकृत अधिकारी श्री राकेश जैन द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया। जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। जिसमें अप्रार्थी को 85,00,000/- रुपये दिनांक 24.04.2017 को ऋण स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर संपत्ति प्लॉट जो वार्ड नं. 10, ग्राम आसीन्द तहसील आसीन्द में स्थित हैं जो श्री बद्रीलाल तेली पुत्र मोहन लाल तेली के नाम से है कुल क्षेत्रफल 1312 वर्ग फीट है तथा प्लॉट नं. 05, वार्ड नं. 11 चुंगी नामा से बस स्टैण्ड तक, ब्यावर रोड, ग्राम आसीन्द तहसील आसीन्द में स्थित है जो श्री बद्रीलाल पिता मोहन लाल तेली के स्वामित्व की है जो कुल क्षेत्रफल 275.55 वर्ग फीट का है, को रहन रखा गया। कुल बकाया ऋण की राशि 85,52,149/-रुपये है। अप्रार्थीयों के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस दिनांक 16.01.2019 को भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 31.12.2018 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

21

प्रार्थी अधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:-

1. रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2. आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ-पत्र पर दिये जा रहे हैं यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आसीन्द को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्क्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्क्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30-5-19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



21-5-19
(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं स्टूट
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा